#### FORM-1

### Government of Uttarakhand Office of the District Collector: Almora

No---

Dated-18.3-2015

#### TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.935 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Construction Division, Public Work Department, Ranikhet (Almora, Uttarakhand) for Extension of Pantgoan Chamarkhan Sailipani Motor Road (simaldhar to Sailapani ) (4.50 0km) in Almora district falls within jurisdiction of Simaldhar village (s) in Bhikiyasen tehsil.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.935 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी श्चलमोड़ा.

ANNEXURE....

# OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT: ALMORA (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Almora

Dated: 18/3/15

1803/U

Deputy Commissioner-cum-Chairman District Level Committee

> जिलाधिकारी ग्रहमोड़ा,

#### प्रारूप-30.2

परियोजना का नाम- पन्ताराय न्यमङ्खान शैलापानी माद भाग का विस्ता।

# कार्यालय उप जिलाधिकारी, भिकियासैन

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, भिकियासैन

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत 1.935 हैं। वन भूमि) का निर्मार्ग कि कि मिन्यति के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील भिकियासैन) की दिनांक को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री राजा जा उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री क्रि. व्याक्रणे स्वपितलाधिकारी क्रानीर्वेत अध्यक्ष 2- श्री बी. के. सिंह उप प्रभागीय वनाधिकारी राजीरवेत सदस्य 3- श्री पी. सिंह पत सहायक समाज कल्याण अधिकारी सदस्य / सचिव 4- श्री: हैं सी हैं वी बीoडीoसीo क्षेत्र ने वे क्रि.

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुये जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा /आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा / पंचायतं द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

उप जिलाधिकारी राज्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन् अधिकार समिति तहसील.....राजारकार जनपद.....स्तराजारकार

प्रतिलिपिः जिलाधिकारी,अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति तहसील.....राजीका जनपद.......स्त्रीका

# प्रपत्र-30.4

दिनांक <u>5-3-2-15</u> को ग्राम समा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति ग्राम पंचायत <u>सिमल्यस्मा</u>

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मेश लिस ह रावत	नामासंहर्यान
	ज्ञानमास्य -	- Small
	मनमाहनासह	WIME THERE
	am 6	ान पंचायत सिमलध मल्ला सिलोर पो० आ० कनो
	am 6	जिला अल्मोडा
	जीवा देवी	
	G. W.	000
	Asset	जीला देवी
	श्वाम पंत्रा	यत सिमल्बार

ह0/-ग्राम प्रधान

किएका सम्होत्यंत (अल्बेक्)

## प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम-प-लगारी न्यमङ्खान शैलापानी मोर्श्याणी का किरितार

वन अधिकार अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत का नाम निरमल धार् तहसील भिकियासैन जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कि बिल्य में ग्राम पंचायत कि बिल्य में ग्राम पंचायत की बैठक में निर्माण खण्ड, लोठनिठिवठ, रानीखेत द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि आदिवासी तथा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्राम वासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा /कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मित से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कि ग्राम के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, रानीखेत को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

~

ग्रामामरपद्मायत विकास खविकारी

भाम पत्तायत सिमलद्वां का ताडीक्त

मुहर सहित

ग्राम प्रधान/सरपंच ताडीखेत (अल्बे

मृहर सहित